



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11012021-224325
CG-DL-W-11012021-224325

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9—जनवरी 15, 2021 (पौष 19, 1942)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9—JANUARY 15, 2021 (PAUSA 19, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2020

सं. ए-12/11/3/फिजियो.ऑक्यो.-भ.वि./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे भौतिक चिकित्सक पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भौतिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भौतिक चिकित्सक, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता :-

(क) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(ख) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिता जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिता के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भौतिक चिकित्सक	41*(2020) *कार्यभार के आधार पर के अध्यधीन	समूह 'ख', गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35,400- 1,12,400 रुपये)	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया गया
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य अर्हता : 1.(i) भौतिक चिकित्सा में दो वर्ष का डिप्लोमा हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्था अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यताप्राप्त हो; तथा (ii) डिप्लोमा पश्चात् न्यूनतम सौ बिस्तरों के तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल से तीन वर्ष का अनुभव। अथवा 2.(i) भौतिक चिकित्सा में तीन वर्ष का डिप्लोमा हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्था अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यताप्राप्त हो; तथा (ii) डिप्लोमा पश्चात् न्यूनतम सौ बिस्तरों के तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल से दो वर्ष का अनुभव। अथवा 3.(i) भौतिक चिकित्सा में कम-से-कम चार वर्ष की स्नातक डिग्री हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्था अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यताप्राप्त हो; तथा (ii) न्यूनतम सौ बिस्तरों के अस्पताल तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल से डिग्री के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : यदि अभ्यर्थी भिन्न प्रकार से सुअर्ह है, तत्संबंधी कारणों को लेखाबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता शिथिलता योग्य है। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी भी चरण में संघ	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती है। (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित पात्रता तथा अनुभव धारक। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं

लोक सेवा आयोग की राय है कि आवश्यक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदायों से अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, उनकी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः उपलब्ध नहीं है, इनसे संबंधित अभ्यर्थी के तत्संबंधी मामले लेखाबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधित अर्हता शिथिलता योग्य है।				
--	--	--	--	--

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, (स्थापना-I), (मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

सं. ए-12/11/3/फिजियो.ऑक्यो.-भ.वि./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948)1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे व्यावसायिक चिकित्सक पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में व्यावसायिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, व्यावसायिक चिकित्सक, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता :-

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यावसायिक चिकित्सक।	31*(2020) *कार्यभार के आधार भिन्नता पर के अध्यक्षीन।	समूह 'ख', गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।	लागू नहीं।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती होने वालों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य अर्हता : 1.(i) व्यावसायिक चिकित्सा में दो वर्ष का डिप्लोमा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्था अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यता प्राप्त हो; तथा (ii) डिप्लोमा के पश्चात् न्यूनतम सौ बिस्तरों के अस्पताल तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल से तीन वर्ष का अनुभव। अथवा 2.(i) व्यावसायिक चिकित्सा में तीन वर्ष का डिप्लोमा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्था अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यता प्राप्त हो; तथा (ii) डिप्लोमा के पश्चात् न्यूनतम सौ बिस्तरों के अस्पताल तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल से दो वर्ष का अनुभव। अथवा 3.(i) व्यावसायिक चिकित्सा में कम-से-कम चार वर्ष की स्नातक डिग्री हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्था अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यता प्राप्त हो; तथा (ii) न्यूनतम सौ बिस्तरों के अस्पताल तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल से डिग्री के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : यदि अभ्यर्थी भिन्न प्रकार से सुअर्ह है,	लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएगी। (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव धारक। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं।

तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता शिथिलता योग्य है। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि आवश्यक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदायों से अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, उनकी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः उपलब्ध नहीं है, इनसे संबंधित अभ्यर्थी के तत्संबंधी मामले लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधित अर्हता शिथिलता योग्य है।				
---	--	--	--	--

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य (3) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, (स्थापना-I), (मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

सं. ए-12/11/6/भ.वि.ग्रेड-ग/भाग-II/2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे श्रव्यतामिति तकनीशियन के पद से संबंध रखते हैं, मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में श्रव्यतामिति तकनीशियन (पूर्ववर्ती श्रव्यतामिति तकनीशियन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रव्यतामिति तकनीशियन) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-
(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इस विनियम के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. शारीरिक स्वस्थता :-
 (1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।
 (2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।
 टिप्पणी: शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।
6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
 (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।
7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रव्यमापी तकनीशियन।	16*(2019) *क.रा.बी.निगम की सभी इकाइयों के लिए कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन।	समूह 'ग', गैर- अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29,200-92,300 रुपये)।	लागू नहीं।	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल

					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य अर्हता : एक वर्ष अंतःशिक्षिता सहित श्रवणविज्ञान में चार वर्ष की डिग्री अथवा श्रवणविज्ञान में दो वर्ष का डिप्लोमा सहित अस्पताल अथवा केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के संगठन अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान में श्रवणमापी तकनीशियन के रूप में दो वर्ष के व्यावहारिक अनुभव। टिप्पणी 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी 1: पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएगी। (क)(1) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव धारक। टिप्पणी 2: समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य (3) चिकित्सा अधिकारी अधिमानतः संबंधित विशेषज्ञता से (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामित व्यक्ति) —सदस्य	लागू नहीं।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

सं. ए-12/11/8/भ.वि.-ईसीजी/2017/चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे ई.सी.जी. तकनीशियन और वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ई.सी.जी. तकनीशियन और वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.सी.जी. तकनीशियन और वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता :-

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ई.सी.जी. तकनीशियन।	177*(2019) *क.रा.बी. निगम की सभी इकाइयों के लिए कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्याधीन।	समूह 'ग', गैर- अनुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25,500-81,100 रुपये)।	लागू नहीं।	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वालों के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 10+2 या उसके समकक्ष। (ii) केंद्र या राज्य सरकार या ए.आइ.सी.टी.ई. से मान्यताप्राप्त संस्थान से ई.सी.जी. में दो वर्ष का डिप्लोमा। टिप्पणी 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम अधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी 1: पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएगी। (क) (1) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव धारक। टिप्पणी 2: समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :— (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) अधिमानतः विशेषज्ञता से संबंधित चिकित्सा अधिकारी (बाह्य नामित केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से) —सदस्य.	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन।	05*(2019) *क.रा.बी. निगम की सभी इकाइयों के लिए कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन।	समूह 'ग', गैर- अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29,200-92,300 रुपये)।	गैर-चयन।	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता: (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 10+2 या उसके समकक्ष। (ii) केंद्र या राज्य सरकार या ए.आइ.सी.टी.ई. से मान्यताप्राप्त संस्थान से ई.सी.जी. में डिग्री या दो वर्ष का डिप्लोमा। (iii) मान्यताप्राप्त संस्थान में संबंधित वृत्ति में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम अधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय है।	लागू नहीं।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
ई.सी.जी. तकनीशियन से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में (25,500-81,100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1: वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित संस्था से पद की ज्यूरटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्तार्थीन विचार किया जाएगा कि विभागीय	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता	लागू नहीं।

पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2: जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	अधिमानत: (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामिति) —सदस्य. समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :— (1) अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता अधिमानत: (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामिति) —सदस्य.	
---	--	--

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

सं. ए-12/11/13/भ.वि.-रेडियोग्राफर/2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

5. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
6. व्यावृत्ति—इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी)	13*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्वधीन	समूह 'ख', अलिपिकवर्गीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35,400-1,12,400 रुपये)	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नतियां/ प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (29,200-92,300 रुपये) में विभागीय रेडियोग्राफर तथा उसी लेवल में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित। टिप्पणी 1: वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) के पद की ड्यूटी के क्षेत्र में पदोन्नति के अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना। दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति हेतु ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी। बशर्ते जिन व्यक्तियों ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी

				विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	--	--	---

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष; (2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

सं. ए-12/11/18/जीडीएमओ-भ.वि./2018-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग पद) भर्ती विनियम, 2008 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद) भर्ती विनियम, 1991 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग तथा एस.ए.जी. पदों से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग पद), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता :-

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।

6. जिन पदों के लिए सीधी भर्ती निर्धारित है, उनके संबंध में चयन बोर्ड का संघटन, चयन प्रक्रिया आदि :

(1) चयन बोर्ड :

(i) चयन बोर्ड में शामिल होंगे :-

(क) सचिव या अपर सचिव, भारत सरकार के दर्जे का अंशकालिक अध्यक्ष, जो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से सचिव या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(ख) जिस विषय या विशेषीकृत क्षेत्र के संबंध में भर्ती की जानी है, उससे जुड़े दो चिकित्सा विशेषज्ञ जो महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल से, अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे।

(ग) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली में विभागीय प्रतिनिधि होंगे और अन्य राज्यों के मामले में, संबंधित राज्यों के अपर आयुक्त या क्षेत्रीय निदेशक विभागीय प्रतिनिधि होंगे। यदि किन्हीं कारणों से ये अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो महानिदेशक किसी अन्य अधिकारी को विभागीय प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सकते हैं।

(ii) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तिथि से एक वर्ष की होगी। हालांकि, उनकी अवधि को अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(iii) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञ यात्रा भत्तों, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा नियत किए जाएंगे।

(2) चयन की प्रक्रिया एवं रीति :-

(क) अनुसूची में शामिल पदों पर सीधी भर्ती, जहां भी लागू हो, सामान्यतः अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली लिखित परीक्षा के बाद पात्र और सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पर आधारित होगी।

यदि अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाना आवश्यक हो जाता है, तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद महानिदेशक द्वारा उसे अपनाया जाएगा। हालांकि, यदि विज्ञापन में एक बार भर्ती प्रक्रिया अधिसूचित हो जाती है, तो बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या एवं निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

- (ग) मात्र आयु, अर्हता, अनुभव आदि निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाने या विज्ञापित पद पर किसी भी दावे के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- (घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु आवेदनों की प्रक्रिया करने से संबंधित सभी कार्यों को महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (ङ) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहयोग महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

7. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

8. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
9. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीमा चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड-II)।	2416*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता अध्यधीन।	समूह 'क', गैर- अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56,100-1,77,500 रुपये) और केंद्रीय सरकार के सदृश पदों की भांति यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	लागू नहीं।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार (कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची (अनुज्ञप्ति धारक की अर्हताओं के अतिरिक्त) के भाग-II में शामिल मान्यताप्राप्त एमबीबीएस डिग्री की अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूर्ण करना है। (ii) अनिवार्य क्रमावर्ती इंटरनशिप को पूर्ण करना जिन अभ्यर्थियों ने क्रमावर्ती इंटरनशिप को पूर्ण नहीं किया है, वे लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे बशर्ते यदि वे चयनित हो जाते हैं तो नियुक्ति से पूर्व उन्हें अनिवार्य इंटरनशिप को संतोषजनक रूप से पूर्ण करना होगा। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा या संविदा के माध्यम से।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केंद्र या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत आने वाले अधिकारी; (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; तथा (ख) कॉलम संख्या 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त हो। संविदा के माध्यम से : अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की अपेक्षा को पूर्ण करने वाले चिकित्सा अधिकारी की एक वर्ष के लिए अल्पकालिक नियुक्ति।	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या	लागू नहीं।

टिप्पणी 1 : समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी होगी।	निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीमा चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड-I) या चिकित्सा निर्देशी।	पदों की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती। क्रियाशील आश्वस्त करियर अनुक्रम योजना के अंतर्गत पदोन्नति।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67,700-2,08,700 रुपये) और केंद्रीय सरकार में सदृश पदों के लिए यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रक्तियों पर विचार किए बिना क्रियाशील आश्वस्त करियर अनुक्रम योजना के अंतर्गत पदोन्नति।

(11)	(12)	(13)
बीमा चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड-II) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में (56,100-1,77,500) में चार* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : बीमा चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड-I) या चिकित्सा निर्देशी के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2: जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। *टिप्पणी 3: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी।	पदों की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती। क्रियाशील आश्वस्त करियर अनुक्रम योजना के अंतर्गत पदोन्नति।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200 रुपये) केंद्रीय सरकार में सदृश पदों के लिए यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना क्रियाशील आश्वस्त करियर अनुक्रम योजना के अंतर्गत पदोन्नति।

(11)	(12)	(13)
बीमा चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड-I) अथवा चिकित्सा निर्देशी से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में (67,700-2,08,700) में पांच* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होना नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। परंतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। *टिप्पणी 3 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)।	पदों की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती। क्रियाशील आश्वस्त करियर अनुक्रम योजना के अंतर्गत पदोन्नति।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपये) और केंद्रीय सरकार में सदृश पदों के लिए यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना क्रियाशील आश्वस्त करियर अनुक्रम योजना के अंतर्गत पदोन्नति।

(11)	(12)	(13)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में (78,800-2,09,200) में चार* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होना नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। परंतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। *टिप्पणी 3 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)।	पदों की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती। क्रियाशील आश्वस्त करियर अनुक्रम योजना के अंतर्गत पदोन्नति।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200-2,18,200 रुपये) और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में सदृश पदों के लिए यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना क्रियाशील आश्वस्त करियर अनुक्रम योजना के अंतर्गत पदोन्नति।

(11)	(12)	(13)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में (1,23,100-2,15,900) में सात* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होना नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —अध्यक्ष; (2) अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —सदस्य;	लागू नहीं।

परंतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। *टिप्पणी 3 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	(3) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.
--	---

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 23rd November 2020

No. A-12/11/3/Physio-Occup-RR/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the post of Physiotherapist, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapist in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Physiotherapist, Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality.—A candidate for appointment must be:—

(a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Regulations.

4. Method of recruitment, age -limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness.—(1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Physiotherapist.	41*(2020) *Subject to variation dependent	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix	Not applicable.	Not exceeding Thirty years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance

	on workload.		(Rs. 35,400 - 1,12,400)		Corporation and Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date of determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.
--	--------------	--	-------------------------	--	--

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential qualification: 1. (i) Two years Diploma in Physiotherapy duly recognised by University Grants Commission or All India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorised regulatory body for this purpose; and (ii) Three years' post-diploma experience as such from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. OR 2.(i) Three years Diploma in Physiotherapy duly recognised by University Grants Commission or All India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorised regulatory body; and (ii) Two years' post-diploma experience as such from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. OR 3.(i) Minimum four years Bachelor's degree in Physiotherapy duly recognised by University Grants Commission or All	Not applicable.	Two years.	By Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of Central Government: (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation	Not applicable.

India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorised regulatory body for this purpose; and (ii) One year post-degree experience from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	
---	--	--	---	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Director or Joint Director (Medical Administration), Headquarter, Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Director or Joint Director or Deputy Director, (Establishment-1, Headquarter), Employees' State Insurance Corporation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

ANURADHA PRASAD
Director General

No. A-12/11/3/Physio-Occup-RR/2017-Med.-VI.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the post of Occupational Therapist, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Occupational Therapist in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Occupational Therapist, Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Nationality. - A candidate for appointment must be:—
(a) a Citizen of India; or
(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Regulations.
4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. Physical fitness.—(1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.
(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.
Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.
6. Disqualification.—No person,—
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
7. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
8. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Occupational Therapist	31*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 - 1,12,400).	Not applicable.	Not exceeding Thirty years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation and Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date of determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential qualification: 1. (i) Two years Diploma in Occupational Therapy duly recognised by University Grants Commission or All India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorised regulatory body for this purpose; and (ii) Three years' post-diploma experience as such from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. OR 2. (i) Three years Diploma in Occupational Therapy duly recognised by University Grants Commission or All India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorized regulatory body; and (ii) Two years' post-diploma experience as such from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. OR 3. (i) Minimum four years Bachelor's degree in Occupational Therapy duly recognised by University Grants Commission or All India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorised regulatory body for this purpose; and (ii) One year post-degree experience from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. Note 1:—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled	Not applicable.	Two years.	By Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of Central Government: (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable.

Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.				
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Chairman; 2. Director or Joint Director (Medical Administration), Headquarter, Employees' State Insurance Corporation. -Member; 3. Director or Joint Director or Dy. Director, (Establishment-1, Headquarter), Employees' State Insurance Corporation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

ANURADHA PRASAD
Director General

No. A-12/11/6/RR-Gr.-C/Part-II/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation, (Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the posts of Audiometry Technician, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Audiometer Technician (erstwhile Audiometry Technician) in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Audiometer Technician) Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Nationality.—A candidate for appointment must be:—
(a) a Citizen of India; or
(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Physical fitness.—(1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.
(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
8. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Audiometer Technician.	16*(2019) *For all units of Employees' State Insurance Corporation subject to variation depending upon the workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29,200-92,300).	Not Applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential qualification: Four years degree in Audiology including one year internship;	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on	Not applicable.

OR Two years Diploma in audiology with two years practical experience as Audiometer Technician in a hospital or organisation of the Central or the State Government or autonomous or Statutory body or Public Sector undertaking or University or recognised institute. Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note-2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government; (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column number (7). Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	
---	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital. -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital. -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government). -Member.	Not Applicable

ANURADHA PRASAD
Director General

No. A-12/11/8/RR-ECG/2017/Med.VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation

(Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the posts of ECG Technician and Sr. ECG Technician, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of ECG Technician and Senior ECG Technician in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, ECG Technician and Senior ECG Technician, Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality.—A candidate for appointment must be: -

(a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed these Regulations.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax. - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ECG Technician.	177* (2019) *For all the units of Employees' State Insurance Corporation subject to variation	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 in the Pay Matrix (Rs. 25,500-81,100).	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

	depending upon workload.				from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
--	--------------------------	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: (i) 10+2 in Science or equivalent from a recognised Board. (ii) Two years Diploma in ECG from Central or State Government or AICTE recognised institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government; (A)(I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and (B) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column number (7). Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical	Not applicable.

	Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior ECG Technician.	05*(2019) *For all the units of Employees' State Insurance Corporation subject to variation depending upon workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level- 5 in the Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300).	Non-Selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: (i) 10+2 in science or equivalent from a recognised Board. (ii) Degree or two years Diploma in ECG from Central or State Government or AICTE recognised institute. (iii) Two years experience in the profession concerned in a recognised institute. Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note-2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	100% by promotion failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion from ECG Technician with five years regular service in Level-4 in the pay matrix Rs. 25,500-81,100. Note 1: For promotion to the post of Senior ECG Technician, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member.	Not Applicable.

ANURADHA PRASAD
Director General

No. A-12/11/13/RR-Radiographer/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the posts of Senior Technical Assistant (Radiology), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Senior Technical Assistant (Radiology) in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Senior Technical Assistant (Radiology), Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these regulations.
4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.- Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Technical Assistant (Radiology).	13*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.	PROMOTION: The Departmental Radiographer in level-5 in pay matrix (Rs. 29,200-92,300) with six years of regular service rendered in the level. Note 1: Successful completion of mandatory training of promotion in the field of duties of the post of Senior Technical Assistant (Radiology). Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental promotion committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental promotion committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their

				seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. —Member; 3. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation —Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation —Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation —Member; 3. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation —Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

ANURADHA PRASAD
Director General

No. A-12/11/18/GDMO-RR/2018-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (GDMOs Cadre Posts), Recruitment Regulations, 2008 and the Employees' State Insurance Corporation (Senior Administrative Grade posts in General Duty Medical Officer) Recruitment Regulations, 1991, is so far as they relate to the posts of General Duty Medical Officer cadre and SAG posts in GDMO Sub-Cadre, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the General Duty Medical Officer Cadre Posts in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (General Duty Medical Officers Cadre Posts), Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Nationality. - A candidate for appointment must be: —
 - (a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Composition of Selection Board, procedure of Selection, etc., in respect of posts for which direct recruitment is prescribed:

(1) Selection Board:

(i) The Selection Board shall consist of:-

(a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by Secretary or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

(b) Two Medical experts from the discipline or specialised field pertaining to which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman, Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

(c) The Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the Departmental representative in New Delhi, and in case of other States, the Additional Commissioner or Regional Director of the respective States will be departmental representative. In case, these officers are not available for some reason then Director General can nominate some other officer as the Departmental representative.

(ii) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

(iii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to traveling allowances, sitting fees etc. at much rates as may be fixed by the Director General from time to time keeping in view the rates prescribed by the Government.

(2) Procedure and manner of Selection: —

(a) Direct recruitment to the posts included in the schedule, wherever applicable, shall ordinarily be made at All India level on the basis of a written examination followed by an interview of eligible and successful candidates.

In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.

(b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.

(c) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.

(d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

(e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistant by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

7. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

8. Power to relax. - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
9. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Insurance Medical Officer (Grade-II).	2416*(2020) *Subject to variation depending upon workload.	Group' A' Non-Ministerial, Non- Gazetted.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100–1,77,500) Plus non practicing allowance as admissible to analogous post in the Central Government.	Not applicable.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: (i) A recognised MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By direct recruitment or by deputation or absorption or through contract.

Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Completion of compulsory rotating internship candidates who may not have completed rotating internships shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
TRANSFER ON DEPUTATION: Officer under the Central or State Government service or public sector undertaking; (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column number 7. Through Contract: Short term appointment for one year of Medical Officer who fulfill essential educational qualification requirement. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation – Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation – Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Insurance Medical Officer (Grade-I) or Medical Referee.	Number of posts cannot be specified. Promotion under Dynamic Assured	Group 'A' Non-Ministerial,	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700–2,08,700)	Selection.	Not applicable.

	Career Progression Scheme.	Non- Gazetted.	plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Government.		
--	----------------------------	----------------	---	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion without taking into account the vacancies under Dynamic Assured Career Progression Scheme.

(11)	(12)	(13)
Promotion from Insurance Medical Officer (Grade-II) with four* years regular Service in Level-10 (Rs. 56,100 – 1,77,500) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Insurance Medical Officer (Grade-I) or Medical Referee, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. -Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Medical Officer.	Number of posts cannot be specified. Promotion under Dynamic Assured Career progression Scheme.	Group 'A' Non-Ministerial, Non- Gazetted.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78,800 – 2,09,200) plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Government.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion without taking into account the vacancies under Dynamic Assured Career progression Scheme.

(11)	(12)	(13)
By promotion from Insurance Medical Officer (Grade-I) or Medical Referee with five* years regular service in level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Not applicable.

Note 1: For promotion to the post of Chief Medical Officer, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	consisting of: - 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation - Member.	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade).	Number of posts cannot be specified. Promotion under Dynamic Assured Career Progression Scheme.	Group 'A' Non-Ministerial, Non- Gazetted	Level-13 in the pay matrix (Rs. 1,23,100 – 2,15,900) plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Government.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion without taking into account the vacancies under Dynamic Assured Career Progression Scheme.

(11)	(12)	(13)
By promotion from Chief Medical Officer with four* years regular service in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade), the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation	Not applicable.

juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	-Member.	
--	----------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade).	Number of posts cannot be specified. Promotion under Dynamic Assured Career Progression Scheme.	Group 'A' Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Level-14 in the pay matrix (Rs. 1,44,200 – 2,18,200) plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Health Services.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion without taking into account the vacancies under Dynamic Assured Career Progression Scheme.

(11)	(12)	(13)
By promotion from Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) with seven* years regular service in level-13 (Rs. 1,23,100- 2,15,900) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade), the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India -Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India -Member; 3. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Member.	Not applicable.

ANURADHA PRASAD
Director General